



फार्म III {स्कीम-III के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें}
Form III {Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III}

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. ओएच/ल-6000396

Licence No. OH/L-6000396

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो

By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 2016(11 of 2016), the Bureau hereby grants to

आयूध निर्माण, मेडक

एददुमैलारम

संगरेड्डी जिला - 502 205

भारत

Ordnance Factory, Medak

Yeddumailaram

Sanga Reddy District- 502 205

India

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारीयों के रजिस्टर(रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा IS/ISO 45001:2018 के अनुरूप व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पतों) पर निर्मित/प्रदत्त/प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Occupational Health & Safety Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the **Occupational Health & Safety Management Systems** in accordance with **IS/ISO 45001:2018**

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबद्ध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/ नवीकृत किया गया और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।


The licence is granted/re-certified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस 16 मार्च 2021 से 15 मार्च 2024 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 16 March 2021 to 15 March 2024 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2020 के अगस्त माह के 09 दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and Dated this 09th day of August 2021


(एम.वी.एस.डी. प्रसादा राव) 09/08/21

वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (दक्षिणी क्षेत्र)

कृते भारतीय मानक ब्यूरो

(M.V.S.D. PRASADA RAO)

Sc G & Deputy Director General (Southern Region)
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

एम.वी.एस.डी. प्रसादा राव
M.V.S.D. PRASADA RAO

वैज्ञानिक - जी / Scientist - G

उप महानिदेशक (दक्षिण) / Deputy Director General (South)

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, सी आई टी कैम्पस,

Southern Regional Office, CIT Campus,
तारमानी, चेन्नै / Taramani, Chennai-600 113.



फार्म III { विनियम 7 (1) D (d) देखें }

Form III {see Regulation 7 (1) D (d)}

MSC -F6.4-15